राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर –299 / 2022

1. मोहरली पत्नी गोपाल
2. भंवर लाल सैनी पुत्र गोपाल राम सैनी

समस्त जाति माली निवासी ग्राम धाबाला की ढाणी तन् बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– **दिनांक : 20–09–2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बबाई तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. नया 130 के खसरा नंबर 288 रकबा 0.19 है., ख.नं. 393 रकबा 0.18 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 है. भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक 1 / 14, 1 / 14 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है व भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि में विरासतन का नामांतरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों की गलत से प्रार्थीया सं. 1 का नाम "मोहरली पत्नी गोपाल" के स्थान पर "मनोहरी देवी पत्नी गोपाल" दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया सं. 1 का वास्तविक सही नाम "मोहरली पत्नी गोपाल" है जो प्रार्थीया सं. 1 के समस्त दस्तावेज व अन्य रिकार्ड में भी दर्ज है और प्रार्थी सं. 2 का नाम "भंवर लाल सैनी पुत्र गोपाल राम सैनी" के स्थान पर "भंवर सैनी पुत्र गोपाल" दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी सं. 2 का वास्तविक सही नाम "भंवर लाल सैनी पुत्र गोपाल राज सैनी" है जो प्रार्थी सं. 2 के समस्त दस्तावेज व अन्य रिकार्ड में भी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी को नाम दुरूस्त बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के [illegible] में वर्णित भूमि में प्रार्थीया सं. 1 का नाम "मनोहरी देवी पत्नी गोपाल" [illegible] पर "मोहरली पत्नी गोपाल" तथा प्रार्थी सं. 2 का नाम "भंवर [illegible] पर "भंवर लाल सैनी पुत्र गोपाल राम सैनी" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में [illegible] अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्रांक: राजस्व/2022/879 दिनांक 18–08–2022 से पटवारी हल्का बबाई की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीगण ने साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. 130 ग्राम बबाई, फोटो प्रति आधार कार्ड मोहरली व भंवर लाल सैनी पेश किये।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का बबाई की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.08.2022 के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार करने पर अपनी सहमति प्रकट की है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया। पत्रावली पर प्रार्थीगण द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार, खेतड़ी के पत्र क्रमांक: राजस्व/2022/879 दिनांक 18–08–2022 के संलग्न पटवारी हल्का बबाई की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.08.2022 के मुताबिक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संदेह से परे साबित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बबाई स्थित भूमि हाल खाता सं. 130 खसरा नंबर 288, 293 कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 है. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि **"मनोहरीदेवी पत्नी गोपाल"** के स्थान पर **"मोहरली पत्नी गोपाल"** व **भंवरसैनी पुत्र गोपाल"** के स्थान पर **"भंवरलाल सैनी पुत्र गोपालराम सैनी"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में शुद्ध की गई प्रविष्टियों के अलावा पूर्व से दर्ज प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner